

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक—24/08/2026

विषय:— वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रु० 54,20,000/- (रुपये चौवन लाख बीस हजार) मात्र व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-10(1) दिनांक-08.01.2021, संकल्प संख्या-776(1) दिनांक-29.11.2023 एवं विभागीय पत्रांक-03(1) दिनांक-03.01.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रु० 54,20,000/- (रुपये चौवन लाख बीस हजार) मात्र व्यय निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ -0005- अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय, विपत्र कोड-20-2210-01-200-0005 अंतर्गत छात्रवृत्ति/ वजीफा (34-01) मद में बजट उपबंध/ अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

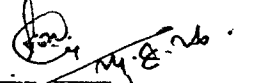
(5) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17.4.1998 एवं संकल्प सं०-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा किये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र **BTC Form 42A** पर तैयार करते हुए नियमानुसार व ससमय महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

- (8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या-7/अ0औ0-14-01/2026-27 के पृ0-10/टि0 पर प्राप्त है ।
- (9) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
- (10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

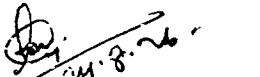

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 7/अ0औ0-14-01/2026-27-350(70) स्वा0, पटना, दिनांक:- 24/08/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी, पटना/ निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

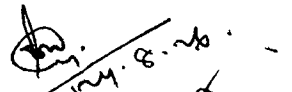
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना को डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि-

क्रमांक	संस्थान का नाम	छात्रवृत्ति/ वजीफा (34-01) मद में आवंटित राशि (रूपयें में)
1	लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना	54,20,000 /-

रु0 54,20,000 /- (रूपये चौवन लाख बीस हजार) मात्र


सरकार के अपर सचिव